भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर
ICAR-National Research Centre on Camel, Bikaner

क्रमांक : एनआरसीसी/एडीएम/स्था./06(02)/करोना वाइरस/2020/भाग-I/ दिनांक : 15.04.2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से समय-समय पर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं परिषद द्वारा जारी मार्गदर्शिका के संबंध में राजस्थान सरकार, गृह विभाग द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से आदेश क्रमांक प. 33(2)-9/2019 दिनांक 14.04.2021 के द्वारा गाईडलाईन्स जारी की गई हैं, जिसमे अवगत करवाया गया हैं कि कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण हैं विशेषज्ञों की राय में कोविड कि दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है जिसकी प्रति (सलंग्न) केन्द्र में कार्यरत सभी अनुभाग/इकाई प्रभारियों/अधिकारीयों/कर्मचारीयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ अग्रेषित हैं |

इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

1. राज्य सरकार द्वारा समस्त क्षेत्रों में सायं 6.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू घोषित किया गया हैं अत: केन्द्र का कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा |
2. प्रभारी सम्पदा द्वारा स्क्रीनिग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी साथ ही सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि को आवश्यकता अनुसार सेनेटाईज किया जायेगा |
3. प्रभारी सुरक्षा द्वारा सभी अधिकारीयों / कर्मचारियों एवं पर्यटकों के प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की जायेगी | साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” एवं सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना करवाई जायेगी |
4. सम्बंधित प्रभारी इकाई / अधिकारी / कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या सम्बंधित संक्रमण की स्थिति पर निदेशक महोदय को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा |
5. सम्बंधित प्रभारी इकाई अपने अधीनस्थ कर्मचारीयों की ड्यूटी इस प्रकार सुनिश्त करें जिसमे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक हो |
6. कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से यदि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बनती हैं तो सक्षम अधिकारी महोदय की पूर्व अनुमति / जानकारी में आवश्यक रूप से लावें |

यह आदेश निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा हैं जो कि दिनांक 16.04.2021 से 31.05.2021 तक प्रभावी रहेगा |

15/4/2021

(आर. ए. साहू)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. श्री राम कुमार पी.एस. - केन्द्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ, मार्गदर्शनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ईमेल के द्वारा परिचालित।
2. सभी प्रभारी अधिकारियों को ईमेल के द्वारा परिचालित।
3. प्रभारी सम्पदा से अनुरोध है कि वे आदेश के बिन्दू क्रमांक 2 एवं मार्गदर्शिका का सख्ती से पालना करें साथ ही केन्द्र में सभी प्रोजेक्ट / सविंदा / ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को भी उपरोक्त की पालना हेतु निर्देशित करे।
4. प्रभारी सुरक्षा से अनुरोध है कि वे आदेश के बिन्दू क्रमांक 3 एवं मार्गदर्शिका का सख्ती से पालना करें |
5. प्रभारी एल.पी.एम. इकाई से अनुरोध हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारीयों की ड्यूटी इस प्रकार सुनिश्चित करें जिसमे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक हो साथ केन्द्र में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों का समय भी यथानुसार परिवर्तन करने की कार्यवाही करें |
6. केन्द्र के नोटिस बोर्ड – कार्यालय भवन / प्रयोगशाला भवन
7. श्री दिनेश मुजांल, स.मु.त.अ. को केन्द्र की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु